अध्याय VII

माल का गलत वर्गीकरण

अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान (अगस्त 2014 से जून 2015), हमने देखा कि निर्धारण अधिकारियों ने विभिन्न आयातित माल का गलत वर्गीकरण किया जिसके कारण ₹ 1.70 करोड़ के सीमाशुल्क की कम उगाही/गैर उगाही हुई। उनकी चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है।

गलत-वर्गीकरण के कारण सुरक्षा शुल्क की गैर-उगाही

7.1 दिनांक 28 अगस्त 2014 की अधिसूचना संख्या 3/2014-सीयूएस (सुरक्षा) के अनुसार सीटीएच 382370 के अंतर्गत आने वाले डीहाइडोल अर्थात सेचुरेटैड फैटी ऐल्कहॉल, थाइलैंड में उत्पन्न या निर्यात और भारत में आयातित यथामूल्य 20 प्रतिशत की दर पर सुरक्षा शुल्क की उगाही के अधीन है। डीहाइडोल सेचुरेटेड फैटी एल्काहॉल सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 38237090 के अंतर्गत वर्गीकरण और सुरक्षा शुल्क योग्य है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मैसर्स बीएएसएफ लिमिटेड ने जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुम्बई के माध्यम से थाइलैंड से 'डीहाइडोल'के पांच परेषण आयात किये (नवम्बर/दिसम्बर 2014)। आयातित माल सीटीएच 382370 के अंतर्गत की बजाय संबंधित उद्योग हेतु रसायन-अन्य' के रूप में सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 38249090 के अंतर्गत वर्गीकृत और सुरक्षा शुल्क की उगाही के बिना निर्धारित किया गया था। मैनुअल चालान के माध्यम से भी सुरक्षा शुल्क के भुगतान का कोई सबूत नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 71.69 लाख के सुरक्षा शुल्क की गैर-उगाही हुई।

मामले को विभाग/मंत्रालय को मार्च/2015 में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

'अन्य- खनिज पदार्थ, कहीं भी निर्दिष्ट नहीं' के रूप में शिलाजीत का गलत वर्गीकरण

7.2 'खनिज वैक्स' अर्थात शिलाजीत सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 27 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है और 14 प्रतिशत की दर पर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) आकर्षित करता है।

मैसर्स एस के ट्रेडिंग कंपनी और चार अन्य ने आइसीडी तुगलकाबाद के माध्यम से 'शिलाजीत स्टोन (खनिज उत्पाद) के 21 परेषण आयात किये (जुलाई 2013 से जनवरी 2015)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मद 'अन्य–खनिज पदार्थ कहीं और निर्दिष्ट नहीं के रूप में सीटीएच 25309099 के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किया गया था और सीवीडी की उगाही से छूट प्राप्त था। तथापि, एस्फाल्टम के रूप में जाना जाने वाला शिलाजीत स्टोन 'अन्य-एल्फाल्टिटस और एल्फाल्टिक रॉक' के रूप में सीटीएच 27149090 के रूप में वर्गीकरणीय है और 14 प्रतिशत की दर पर सीवीडी आकर्षित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.45 लाख की शुल्क राशि की कम उगाही हुई।

यह विभाग/मंत्रालय को जनवरी/2015 में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

चावल मिल रबर रोलर का चावल मिल मशीनरी के रूप में गलत वर्गीकरण

7.3 'चावल मिल रबर रोलर/धान से भूसी निकालने वाले रबर रोलर' 'रबर की अन्य वस्तुओं' के रूप में सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 40169990 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है और 10 प्रतिशत के मूल सीमाशुल्क लगाये जाने योग्य है। सीबीईसी (बोर्ड) ने दिनांक 11 जनवरी 1990 के अपने परिपत्र संख्या 2/1990-सीएक्स-3 में भी स्पष्ट किया है कि 'चावल मिल' में प्रयोग किये गये 'रबर रोल' सीटीएच 4016 के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त दिनांक 17 मार्च 2012 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2012 (क्र.सं. 155)

स्पष्ट रूप से 'चावल मशीनरी' के लिये 'चावल रबर रोल्स' का वर्गीकरण सीटीएच 4016 के अंतर्गत करता है।

मैसर्स केबीएम इंटरनेशनल और तीन अन्य ने समुद्री सीमा शुल्क, चेन्नै के माध्यम से 'चावल मिल रबर रोलर्स/धान से भूसी निकालने वाले रबर रोलर्स' के 21 परेषणों का आयात किया (अगस्त 2013 से जनवरी 2014)। माल 'चावल मिल मशीनरी के भाग' के रूप में सीटीएच 84379020 के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था और आयात की अवधि के दौरान प्रचारित 7.5 प्रतिशत/2.5 प्रतिशत/शून्य दर पर मूल सीमाशुल्क के लिये निर्धारित था। इस प्रकार, गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 23.03 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

इस ओर ध्यान दिलाने पर (जून 2014), विभाग ने कहा (अगस्त 2014/फरवरी 2015) कि सभी चार आयातकों (मैसर्स केबीएम इंटरनेशनल, मैसर्स ओम रबर्स, मैसर्स निर्मला एजेंसीज और मैसर्स श्रीनिवास मिल स्टोर्स) को मांग नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने यह भी कहा कि दिनांक 17 मार्च 2012 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2012 के आधार पर, सीटीएच 4016 के अंतर्गत 'रबर रोलर' का वर्गीकरण नियमानुकूल और उचित नहीं था और माल को धारा नोट और अध्याय के साथ पढ़कर व्याख्यात्मक नियम के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिये।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि :-

(i) बोर्ड ने अपने परिपत्र संख्या 2/1990-सीएक्स 3 में स्पष्ट किया है कि 'चावल मिल' में प्रयोग किये जाने वाला 'रबर रोलर' सीटीएच 4016 के अंतर्गत वर्गीकरणयोग्य है।

(ii) व्याख्यात्मक नियमावली के 3(ए) के अनुसार, शीर्ष जो सबसे अधिक विशिष्ट विवरण देता है, को अधिक सामान्य विवरण प्रदान कराने वाले शीर्षों के लिये वरीयता देनी चाहिये। 'रबर रोलर' 'चावल मिल मशीनरी के भाग' से ज्यादा अधिक विशिष्ट है।

(iii) यद्यपि, 'रबर रोलर' धातु और रबर से बना होता है, आयातित वस्तुओं का सामान्य विवरण 'रबर रोलर' है और इसलिए, माल का वर्गीकरण सीटीएच 4016 के अंतर्गत 'रबर की वस्तुओं' के रूप में किया जाना चाहिये।

(iv) कलेक्टर बनाम कोहिनूर रबर मिल्स-1993 (67) ईएलटी 816 (अधिकरण) के मामले में यह निर्णय हुआ कि चावल रबर रोल्स उप-शीर्ष 4016-99 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समर्थित था जैसाकि 1997 (92) ईएलटी 36(एससी) में बताया गया है।

यह विभाग/मंत्रालय को जून/2015 में बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

मंत्रालय ने 2015 की प्रतिवेदन संख्या 8 (उप पैराग्राफ संख्या 6.8) में बताया गया समान आपत्ति को स्वीकार किया है (नवम्बर 2015)।

'बने हुए वस्त्र' को सिंथटिक रेशे वाले 'अन्य बने हुए वस्त्र' के रूप में गलत वर्गीकृत

7.4 'बने हुए वस्त्र' जिसमें पोलिस्टर रेशे का 85 प्रतिशत या अधिक हो, सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 540761/540769 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है और 10 प्रतिशत या 36 प्रति वर्गमीटर की दर पर बीसीडी लगाये जाने योग्य है, जो भी उच्च हो।

मैसर्स जे एंड जे ओवरसीज आइएनसी ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से 90 प्रतिशत पोलिस्टर रेशे और 10 प्रतिशत विस्कोस रेशे वाले पोलिस्टर विस्कोस वस्त्र के तीन परेषण आयात किये (जुलाई/सितम्बर 2014)। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयातित माल 85 प्रतिशत या अधिक वाले सिंथेटिक रेशे-रंगे हुए 'अन्य बने हुए वस्त्र' के रूप में सीटीएच 54077200 के अंतर्गत वर्गीकृत था और बीसीडी 10 प्रतिशत या ₹ 36 प्रति वर्गमीटर की उच्चतर दर के बजाए ₹ 24 प्रति वर्गमीटर पर वसूली योग्य थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.77 लाख की शुल्क राशि की कम उगाही हुई।

यह विभाग/मंत्रालय को दिसम्बर 2014 में/बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

'लकड़ी की वस्तुओं' को छड़ी के विनिर्माण 'लकड़ी की छड़ी' के रूप में गलत वर्गीकरण

7.5 'लकड़ी की वस्तुएं' सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 4421 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है और 12 प्रतिशत की दर पर सीवीडी आकर्षित करती है।

मैसर्स श्री सांई ओवरसीज ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से 'लकड़ी की छड़ी' (आकार 74 मिमी से 114 मिमी) के छह परेषण आयात किये (अप्रैल 2014 से जुलाई 2014)। विभाग ने 'लकड़ी की छड़ी', मोटे तौर पर छांटी गई लेकिन घूमा, मुड़ा या अन्यथा छड़ी उपकरण संभाल, विभाजित पोल आदि' के विनिर्माता के लिये उपयुक्त काम नहीं करता के रूप में सीटीएच 44042010 के अंतर्गत आयातित माल वर्गीकृत किया और उसे सीवीडी में छूट दी। चूंकि आयातित लकड़ी की छड़ी आकार में काफी छोटी थी (74-114 मिमी) वह छड़ी आदि के विनिर्माता के लिये उचित नहीं हैं इसलिए 12 प्रतिशत की दर पर सीवीडी आकर्षित करते हुए 'लकड़ी की अन्य वस्तुओं' के रूप में सीटीएच 44219090 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं। इसके अतिरिक्त मूल देश प्रमाण पत्र भी पुष्टि करता है कि आयातित माल सीटीएच 44219090 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। इस प्रकार गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 13.14 लाख शुल्क की कम उगाही हुई।

मंत्रालय ने ₹ 13.14 लाख के लिए मांग नोटिस के जारी किए जाने के बारे में सूचित किया (दिसम्बर 2015) प्रगति प्रतीक्षित है।

'कच्चे पाल्म स्टियेरिन का 'अन्य तेल' के रूप में गलत वर्गीकरण

7.6 बोर्ड ने दिनांक 26 जुलाई 2011 के सीमाशुल्क परिपत्र संख्या 31/2011 के माध्यम से स्पष्ट किया कि 'कच्चे पाल्म स्टियेरिन' सीटीएच 38231111 के अंतर्गत निर्धारित किया जाना चाहिए और अपने क्षेत्र निर्माण को तदनुसार सभी लंबित मामलों को पूर्ण करने के निर्देश दिये। तदनुसार, 'आरबीडी पाल्म कर्नल स्टियेरिन' 20 प्रतिशत की दर पर

बीसीडी आकर्षित करते हुए सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 38231112 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं।

मैसर्स कार्गिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जेएनसीएच न्हावा शेवा के माध्यम से 'आरबीडी पॉम कर्नल स्टियेरिन का एक परेषण आयात किया (अप्रैल 2012)। विभाग ने 20 प्रतिशत के बजाय 7.5 प्रतिशत की दर पर बीसीडी की उगाही करते हुए सीटीएच 15132910 के अंतर्गत 18 अप्रैल 2012 को अंतिम रूप से माल का मूल्यांकन किया। इसके परिणामस्वरूप ₹11.55 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

इसे बताए जाने पर (मई 2015), मंत्रालय ने आयातक को मांग एवं कारण बताओं नोटिस, जारी करने के बारे में सूचित किया (जनवरी 2016)।

'वेजिटेबल सैप्स और एक्सट्रेक्ट्स' का 'अन्य एसाइक्लिक, एल्काहॉल और उनके हैलोजिनेटेड डेरिवेटिव के रूप में गलत वर्गीकरण

7.7 'वेजिटेबल सेप्स और एक्सट्रेक्ट्स' सीटीएच 1302 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है और 15 प्रतिशत की दर पर बीसीडी आकर्षित करता है।

मैसर्स ऑरिफ्लेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आईसीडी तुगलकाबाद के माध्यम से 'टीवाईआरओएसटीएटी 09 (पानी, ग्लिसरिन, रूमेक्स आक्सडेन्टल एक्सट्रेक्ट)' आयात किया (अक्तूबर 2013 से नवम्बर 2014)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयातित माल 'अन्य एसाइक्लिक, एल्काहॉल और उनके हैलोजनेटेड, स्लफोनेटेड, नाइट्रेटेड या नाइट्रोस्टेटेड डेरीवेटिटस' के रूप में सीटीएच 29054900 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और 7.5 प्रतिशत की दर पर बीसीडी की उगाही की गई थी। हर्ब 'रूमेक्स आक्सडेन्टल' वेजिटेबल एक्सट्रेक्ट हैं और इसलिये सीटीएच 2905 की बजाय सीटीएच 1302 के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने योग्य है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.27 लाख की शुल्क राशि की कम उगाही हुई।

यह दिसम्बर 2014 में विभाग/मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

नई दिल्ली **(डा. नीलोत्पल गोस्वामी)**
दिनांक: 11 फरवरी 2016 **प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक: 11 फरवरी 2016 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**